



दैनिक न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

RNI NO - CHHIN/2018/76480

Postal Registration No-055/Raigarh DN CG

रायगढ़, रविवार 31 मार्च 2024

पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए

वर्ष-06, अंक- 182

महत्वपूर्ण एवं खास

(रांची)पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी ने फाइल की चार्जशीट, जमीन घोटाले से जुड़ा है मामला

रांची, 30 मार्च (आरएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रांची के बड़ाई अंचल में 8.46 एकड़ जमीन के घोटाले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और निलंबित राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद के खिलाफ रांची स्थित पीएमएलए कोर्ट में शनिवार को चार्जशीट फाइल कर दी।

सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। उनकी न्यायिक हिरासत के 60 दिन आज पूरे हो गए। नियमत: किसी अभियुक्त की गिरफ्तारी के 60 दिन के भीतर चार्जशीट फाइल करना अनिवार्य होता है। ईडी की टीम एक ट्रक में चार्जशीट के कागजात लेकर शाम करीब 4.20 बजे रांची कोर्ट पहुंची। ईडी ने हेमंत सोरेन के खिलाफ कुल 5,500 पन्नों में चार्जशीट फाइल की है। इसमें मनीलॉन्गिंग में उनकी भूमिका के बारे में विस्तार से बताया गया है।

गिरफ्तार किए जाने के बाद ईडी ने हेमंत सोरेन को रिमांड पर लेकर 3 फरवरी से पृथक्ता शुरू की थी। अदालत के आदेश पर उनकी रिमांड की अवधि दो बार बढ़ाई गई है और उनसे कुल 13 दिनों तक जमीन की खरीदारी, व्हाट्सअप चैटिंग, अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग में लेनदेन सहित कई बिंदुओं पर पृथक्ता की गई थी। एजेंसी ने कोर्ट को बताया था कि सोरेन ने कई बिंदुओं पर सीधा और संतोषजनक जवाब नहीं दिया।

सोरेन जमीन पर अपनी स्वामित्व की बात से लगातार इनकार करते रहे हैं। इस पर ईडी ने उनके सामने बड़ाई अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद के मोबाइल से मिले 8.46 एकड़ जमीन के साक्ष्य को रखा था।

सोरेन फिलहाल 4 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी की चार्जशीट के बाद उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की आगे की कार्यवाही शुरू होगी।

00

(नई दिल्ली)सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ीं, सुकेश चंद्रशेखर से उगाही मामले में सीबीआई जांच को मिली मंजूरी

नई दिल्ली, 30 मार्च (आरएनएस)। आम आदमी पार्टी को आज कराार झटका लगा है। जेल में बंद सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ पूर्व मंत्रालय ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत सीबीआई जांच की मंजूरी दे दी है। सत्येंद्र जैन के खिलाफ ठग सुकेश चंद्रशेखर से 'प्रोटेक्शन मनी' के रूप में 10 करोड़ रुपये की उगाही करने का आरोप है, साथ ही इस मामले में सत्येंद्र जैन और तिहाड़ जेल के पूर्व डीजी संदीप गोयल पर तिहाड़ जेल में जबरन वसूली का रिकेट चलाने और दिल्ली की विभिन्न जेलों में बंद हाई प्रोफाइल कैदियों से प्रोटेक्शन मनी वसूलने का भी आरोप है। बता दें कि उपाज्यपाल ने 9 फरवरी को तिहाड़ जेल के पूर्व डीजी संदीप गोयल, तिहाड़ जेल के तत्कालीन अधीक्षक राज कुमार के खिलाफ भी सीबीआई जांच को मंजूरी दी थी। करोड़ों रुपये की ठगी और मनी लॉन्गिंग के आरोप में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के राज्यपाल वीके सक्सेना को पत्र लिखकर आरोप लगाया था।

00

(हापड़)हापड़ के पॉश कॉलोनी में सपा नेता की पत्नी की दिन दहाड़े हत्या से हड़कंप

हापड़, 30 मार्च (आरएनएस)। यूपी के जनपद हापड़ में समाजवादी पार्टी के नेता की पत्नी की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पूरा मामला नगर कोतवाली क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता की पत्नी की हत्या से जुड़ा है। फिलहाल, पुलिस ने सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस ने बताया कि यह पूरा मामला नगर कोतवाली के सामिया गार्डन इलाके का है। जानकारी के मुताबिक, हापड़ के प्रमुख प्रोपर्टी कारोबारी और समाजवादी पार्टी के नेता जहीर सलमानि अपने परिवार के साथ बुलंदशहर रोड स्थित सामिया कालोनी में परिवार सहित रहते हैं।

सुबह वह किसी काम से घर से निकले थे। शनिवार की दोपहर घर में अकेली उनकी पत्नी थी। तभी बदमाश उनके घर में घुसे और ताबड़तोड़ गोलियों चला दी।

बदमाशों ने सपा नेता के घर में घुसकर उनकी पत्नी पर गोली चला दी। परिजन हलाक के लिए उन्हें अस्पताल में ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

नगर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक नीरज कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। वहीं वारदात के कमरे से फॉरेंसिक टीम ने कुछ अहम सबूत जुटाए हैं। घर के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज

बम की तरह फटा गैस सिलेंडर... चाय बना रही महिला और 3 बच्चों की दर्दनाक मौत

सिलेंडर फटने के बाद लगी आग, कमरे में सो रहे 3 मासूम बच्चों की जिंदगी लील गई



देवरिया | आरएनएस

उत्तर प्रदेश के देवरिया के भलुअनी कस्बे के पास डुमरी गांव में शनिवार सुबह करीब छह बजे गैस सिलेंडर फटने से महिला और तीन बच्चों की मृत्यु हो गई है। धमाका इतना तेज था कि कमरे की छत और

दीवार भी क्षतिग्रस्त हो गई। आग पर जब तक काबू पाया जाता, महिला और उसके तीनों बच्चे पूरी तरह जल चुके थे। महिला अपने पति के लिए चाय बनाने गई थी। पति कमरे के बाहर था, जिसकी वजह से बच गया।



हादसा...

डुमरी गांव के रहने वाले शिव शंकर गुप्ता की 35 वर्षीय पत्नी आरती देवी ने शनिवार सुबह सोकर उठने के बाद चूल्हे पर चाय का पैन रखकर जैसे ही गैस जलाया रेगुलेटर में आग लग गई। उसने शोर मचाया, लेकिन तभी सिलेंडर में विस्फोट

हो गया, जिससे घर में आग लग गई। आग घर के दूसरे कमरे तक पहुंच गई, जिससे कमरे में सो रही 14 वर्षीय आंचल, 12 साल का कुंदन और 11 वर्षीय सृष्टि आग की चपेट में आ गए। सभी की कमरे में ही जलकर मृत्यु हो गई। उन्हें बाहर निकलने का भी मौका नहीं मिला।

जमशेदपुर की कंपनी के टायर गोदाम में भीषण आग लगी

जमशेदपुर (आरएनएस)। जमशेदपुर के बर्मा माईंस इलाके में लाल बाबा टायर कंपनी के टायर गोदाम में बीती देर रात भीषण आग लग गई है। इससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी और दहशत फैल गई है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं। आग की लपटें दो-ढाई सौ फीट से भी अधिक ऊंचाई तक पहुंच गई हैं। इलाके में सैकड़ों लोग घरों से बाहर निकल आए हैं। आग की वजहों का पता नहीं चल पाया है।

नरसिम्हा राव समेत चार शख्सियतों को मरणोपरांत मिला भारत रत्न, लालकृष्ण आडवाणी को आज मिलेगा सम्मान

नई दिल्ली | आरएनएस

राजधानी दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में भारत रत्न देने के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को चार शख्सियतों को मरणोपरांत



देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया है। भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वालों में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर और कृषि वैज्ञानिक डॉ एमएस स्वामीनाथन सभी मरणोपरांत

शामिल हैं। वहीं, लालकृष्ण आडवाणी को 31 मार्च को भारत रत्न दिया जाएगा। समारोह के दौरान नरसिम्हा राव के बेटे पीवी प्रभाकर राव, चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी, कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर और एमएस स्वामीनाथन की बेटे

भारी भीड़ के बीच मुख्तार अंसारी अपने पैतृक कब्रिस्तान में सुपर्द-ए-खाक

गाजीपुर | आरएनएस

पूर्वांचल के माफिया मुख्तार अंसारी के शव को शनिवार को गाजीपुर जिले के मुहम्मदाबाद स्थित उसके पैतृक कब्रिस्तान में सुपर्द-ए-खाक कर दिया गया। इससे पहले उनका जनाजा निकला जिसमें हजारों लोग शामिल हुए।



जब जनाजा कब्रिस्तान के अंदर चला गया तो वहां कम से कम पांच हजार लोग मौजूद थे। इसके पहले माफिया मुख्तार अंसारी का जनाजा कब्रिस्तान पहुंचा। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मुख्तार के बेटे उमर अंसारी ने खुद हाथ में माइक ले ली और लोगों से पीछे हटने की अपील करते रहे, साथ ही यह सूचना देते रहे कि कब्रिस्तान के अंदर सिर्फ परिवार को जाने की अनुमति है। हालांकि कुछ लोगों ने दीवार फांदने की कोशिश भी की। मुख्तार अंसारी की कब्र उनके पिता व मां की कब्र के समीप

का सख्त पहरा रहा। समर्थकों ने पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर जनाजे के लिए रास्ता बनाया। गाजीपुर में गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी के आवास के बाहर सुबह कुल देर तक शव को रखा गया। मुख्तार अंसारी का शव भारी पुलिस बल के साथ रात 1:15 बजे पैतृक

कस्बा मुहम्मदाबाद के आवास पर पहुंचा। शव आने की सूचना पर हजारों की संख्या में समर्थक जुट गए। सुरक्षा के लिहाज से कस्बे में चप्पे-चप्पे पर पुलिस के साथ ही अर्द्धसैनिक बल के जवानों की तैनाती रही। इससे पहले मुख्तार अंसारी का शव एंबुलेंस से भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पहुंचा गाजीपुर पहुंचा कब्रिस्तान के बाहर पुलिस

संगीत वीडियो में दुर्लभ प्रजाति के सांपों का इस्तेमाल करने के आरोप फिर कानूनी पचड़े में फंसें एल्विश यादव, गायक फाजिलपुरिया के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज

गुरुग्राम | आरएनएस

गुरुग्राम की अदालत के आदेश के बाद जिला पुलिस ने शनिवार को संगीत वीडियो में दुर्लभ प्रजाति के सांपों का इस्तेमाल करने के आरोप में बिग बांस ओटीटी 2 विजेटा एल्विश यादव और गायक राहुल यादव उर्फ फाजिलपुरिया के खिलाफ मामला दर्ज किया। इससे पहले, गुरुवार को अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मनोज कुमार राणा की अदालत ने यादव और फाजिलपुरिया के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया था।



दोनों के खिलाफ बादशाहपुर पुलिस स्टेशन में पशु क्रूरता अधिनियम और आईपीसी की धारा 294 सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। बादशाहपुर पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस

मामले में अनुपालन रिपोर्ट अदालत को सौंपेगी।पीपल फॉर एनिमल्स (पीएफए) के सदस्य सौरभ गुप्ता द्वारा पिछले साल नवंबर में दायर एक शिकायत में एल्विश यादव और राहुल यादव उर्फ फाजिलपुरिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने अपने संगीत वीडियो में अवैध रूप से दुर्लभ प्रजाति के सांपों का इस्तेमाल किया है।

गुप्ता ने आरोप लगाया कि उन्होंने वीडियो शूट करने के लिए पशु कल्याण बोर्ड, जिला प्रशासन या वन विभाग से अनुमति नहीं ली थी। उन्होंने अदालत में एक याचिका भी दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि उन्हें वन्यजीव तस्करों गिरोहों से धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने यह पत्र पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के

मुख्य न्यायाधीश, गुरुग्राम के जिला एवं सत्र न्यायाधीश और गुरुग्राम पुलिस आयुक्त को भी भेजा था। सौरभ ने पत्र में सोशल मीडिया पर लगातार जास से मारने की धमकियां मिलने और शिकायत वापस लेने का दबाव डालने का जिक्र किया है।

इस मामले को नोटिस जारी किया और फाजिलपुरिया को नोटिस जारी किया और गुरुग्राम पुलिस को मामले की जांच करने का निर्देश दिया। विवाद जनवरी 2023 में पैदा हुआ, जब यादव ने अपने गीत '32 बोर' के लिए एक संगीत वीडियो जारी किया। वीडियो में कई दृश्य दिखाए गए, जिनमें यादव और अन्य नर्तक सांपों के साथ बातचीत करते नजर आए। यादव को 23 मार्च को यूट्यूबर सागर ठाकुर उर्फ मैक्सटर्न से जुड़े मारपीट के मामले में गुरुग्राम की एक अदालत ने जमानत दे दी थी।

जमशेदपुर में कारोबारी की पत्नी की हत्या, होटल में डिनर के बाद लौटते वक्त मारी गोली

जमशेदपुर | आरएनएस

जमशेदपुर के प्लाईवुड कारोबारी रवि अग्रवाल की पत्नी 39 वर्षीया ज्योति अग्रवाल की बीती रात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। रवि अग्रवाल से दो महीने से रंगदारी मांगी जा रही थी। आशंका है कि हत्या के पीछे रंगदारी मांगने वाले अपराधिक गिरोह का हाथ हो सकता है। वारदात को लेकर शहर के कारोबारियों में भारी गुस्सा है।

रवि अग्रवाल और उनकी पत्नी ज्योति शक्रवार की रात शहर के बाहर हाईवे पर स्थित एक होटल में डिनर के बाद लौट रहे थे, तब कान्दरबेड़ा नामक जगह पर अपराधियों ने उनकी गाड़ी रोक ली। उन्होंने रवि पर पिस्टल तानी, तो

ज्योति अग्रवाल ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इसपर अपराधियों ने उनके सिर में गोली मार दी। ज्योति को तत्काल टाटा मेन हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शहर के सोनारी इलाके में रहने वाली रवि अग्रवाल का भुईयाडीह इलाके में प्लाईवुड का प्रतिष्ठान है। उनका कहना है कि उनसे फोन पर रंगदारी की मांग की जा रही थी। वारदात की जानकारी मिलते ही झारखंड सरकार के मंत्री बन्ना गुप्ता भी मौके पर पहुंचे। सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष सुरेश सांथालिया सहित कई कारोबारियों ने उनसे अपराधियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की।

शराब घोटाले मामले में अब ईडी ने दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को भेजा समन, आज होगी पूछताछ

नई दिल्ली | आरएनएस

आम आदमी पार्टी के नेताओं और मंत्रियों की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को ईडी ने तलब किया है। शनिवार को ईडी कैलाश गहलोत से पूछताछ करेगी।



इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं और इस समय ईडी की हिरासत में हैं। उनसे पहले दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी गिरफ्तार हो चुके हैं। एक के बाद एक दिल्ली सरकार के

मुख्यमंत्री के साथ-साथ अन्य मंत्री और नेता भी शराब घोटाले में फंसे नजर आ रहे हैं। एक तरफ सडकों पर उतरकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भाजपा के कार्यकर्ता भी अपना विरोध प्रदर्शन कर दिल्ली के मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।

ईडी ने दायर की एक और चार्जशीट, दिल्ली जल बोर्ड में हुए घपले का बताया एक-एक पहलू

प्रवर्तन निदेशालय ने आज दिल्ली जल बोर्ड केस में पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसमें एक कंपनी और 4 लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि दिल्ली जल बोर्ड ने ठेका देने में भ्रष्टाचार किया। घूस की रकम आम आदमी पार्टी को इलेक्शन फंड के तौर पर दी गई। 8000 पन्नों की चार्जशीट में 140 पेज ऑपरेटिव पार्ट है। जानकारी के मुताबिक हक्कच्छ के अधिकारी ने जो सर्टिफिकेट जारी किया है उसी के आधार पर ह्यूब्र कंपनी को टेंडर मिला था। ईडी का दावा है कि हक्कच्छ के रिकॉर्ड में ह्यूब्र के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ईडी ने कहा है कि जगदीश अरोड़ा, अनिल अग्रवाल, तर्जेंद्र सिंह चार्टेड अकाउंटेंट हैं जो जगदीश अरोड़ा का करीबी है। मितल हक्कच्छ के अधिकारी हैं। मितल ने ह्यूब्र कंपनी को फर्जी दस्तावेज मुहैया कराया था। ईडी के मुताबिक दिल्ली जल बोर्ड ने ह्यूब्र को 38 करोड़ का टेंडर दिया, जिसके 24 करोड़ रुपए पहले जारी किए गए। ईडी के मुताबिक, इस घोटाले में दिल्ली जल बोर्ड के तत्कालीन चीफ इंजीनियर जगदीश अरोड़ा ने यह बात जानते हुए भी कि कंपनी टेक्निकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा नहीं करती है, ठेके एमएस एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर को दिए थे।